न्यायालय न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी, मंझौल बेगूसराय
सामान्य पंजी संख्या – 277/17

राज्य बनाम सुखदेव पासवान वगैरह

दिनांक 19.02.20 :

अभिलेख आज आदेश हेतु नियत है। एक अभियुक्त इन्दु देवी की हाजरी दी गयी । शेष 06 अभियुक्तों की ओर से समयावेदन न्यायालय में दाखिल किया गया। जिसे आज मात्र के लिए स्वीकृत किया जाता है। वाद के पुकार पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित हैं

आदेश

बचाव पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन अंतर्गत धारा – 239 दं0 प्र. सं. दिनांक 25.09.19 एवं अभियोजन की ओर से दाखिल प्रति उत्तर दिनांक 27.01.20 पर उभय पक्षों को सुना। बचाव पक्ष का कथन है कि आवेदक अभियुक्त राकेश कुमार जाम नगर में हेल्पर के पद पर कार्यरत है। आवेदक के पिता सुखदेव पासवान का सूचिका किरायेदार है और उनके मकान में किराये पर रहती हैं। सूचिका को जब सुखदेव पासवान ने मकान खाली करने को कहा तब सुखदेव पासवान एवं उनके परिवार के उपर झूठा आरोप लगाकर दबाव बनाने के लिए सूचिका द्वारा प्रस्तुत वाद दाखिल किया गया। यह कि सूचिका के द्वारा लिखित आवेदन जिसके आधार पर प्रस्तुत वाद दर्ज किया गया। उसमें सुखदेव पासवान एवं उनके पत्नी सहित सभी बच्चों एवं बेटी, दमाद तक को मुदालय बना दिया गया। जबकि वास्तविक बात यह है कि तथा कथित घटना की न तो कोई तारीख है और न ही कोई समय। अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा स्वच्छ एवं निरपेक्ष जांच नहीं की गयी है। तथा सूचिका के पक्ष में आकर आरोप पत्र समर्पित किया गया है। जिसके आधार पर श्रीमान के द्वारा आवेदक सहित अन्य अभियुक्तो के विरूद्ध धारा – 341, 323, 504, 379, 354–ए, भा0 दं0 सं0 के तहत संज्ञान लिया गया। यह कि अनुसंधान पदाधिकारी के द्वारा सूचिका के पुनर्ब्यान में आवेदक के विरूद्ध कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है। जो कांड दैनिकी के पारा 03 से स्पष्ट है। साक्षी संख्या 02 अन्नु कुमारी ने पारा 08 में आवेदक के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया। यह कि आवेदक घटना की तिथि को घटनास्थल पर नहीं था। यह कि आवेदक अप्रैल 2017 से लेकर दिसम्बर 2017 तक अपने कम्पनी गुजरात जामनगर में कार्यरत था। यह कि तथाकथित घटना की तिथि 11.09.17 को आवेदक जामनगर–गुजरात, में था। जिसके सबूत के रूप में आवेदक अप्रैल 2017 से लेकर दिसम्बर 2017 तक सैलेरी रिसिप्ट की छाया प्रति दाखिल कर रहा है। आवेदक बिल्कुल निर्दोष है। उन पर आरोप गठन करने हेतु कोई भी तथ्य मौजूद नहीं है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि आवेदक को प्रस्तुत वाद से आरोप मुक्त करने की कृपा करें। अभियोजन पक्ष का कथन है कि सूचिका ने थाने में दिये गये आवेदन में कहा है कि उपरोक्त अभियुक्तो के द्वारा उनके साथ उपरोक्त वर्णित धाराओं में अपराध किया गया है। अनुसंधान पदाधिकारी द्वारा सभी अभियुक्तों के विरूद्ध वर्णित धाराओं में घ ाटना को सत्य पाते हुए आरोप पत्र समर्पित किया गया है। केस डायरी के पैरा 08, 09, 10 में साक्षियों ने घ ाटना का समर्थन किया है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि बचाव पक्ष के आवेदन दिनांक 25.09.19 को खारिज करने की कृपा करें।

सुना, अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक द्वारा घटना के माह में अपनी कंपनी में सिर्फ 18 दिन काम किया गया है। अन्य दिनों में वह अनुपस्थित रहे हैं। अनुपस्थित रहने के कारणों का उल्लेख आवेदक द्वारा नहीं किया गया है। साथ ही इस वाद के कांड दैनिकीं के साक्षी संख्या 09 राजेश पासवान के बयान एवं सूचक द्वारा थाना में दिये गये आवेदन के आधार पर स्पष्ट है कि अभियुक्त राकेश कुमार के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा – 341, 323, 504, 379, 354–ए, के अंतर्गत आरोप विरचित करने हेतु पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है।

अतः बचाव पक्ष के आवेदन दिनांक 25.09.19 को तद्नुसार खारिज किया जाता है। वाद दिनांक वास्ते आरोप गठन । अभियुक्त आरोप गठन हेतु सदेह उपस्थित रहे।

योगेश कुमार मिश्र

न्या0 दंडा0 प्रथम श्रेणी, मंझौल